झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–715 वर्ष 2017

प्रदीप सिंह (कांस्टेबल नंबर 1051) ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. महानिदशक–सह–पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड, रांची

3. पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू रेंज, पलामू

4. पुलिस अधीक्षक, लातेहार .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री सुरेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री सैयद रमिज जफर, ए0जी0 के ए0सी0

5 / 30.01.2019 याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ता ने विभागीय कार्यवाही में उन्हें दिये गये दंड के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्हें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार ने एस0टी0 संख्या 182 / 2013 में बरी कर दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता इस आधार पर आदेश को चुनौती दे रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 20.11.2014 के अपने फैसले के द्वारा याचिकाकर्ता को बरी कर दिया। वह आगे कहते हैं कि बर्खास्तगी का आदेश केवल आपराधिक मामला शुरू होने के आधार पर पारित किया गया था, लेतिकन बरी होने के बाद उन्हें बहाल किया जाना चाहिए था। उन्होनें कहा कि आपराधिक आरोप और विभागीय कार्यवाही में आरोप समान हैं।

प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश अपील योग्य है। वह आगे कहते हैं कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षत्र का आह्वान करने के लिए इस न्यायालय में आने से पहले बरी होने के फैसल की एक प्रति के साथ अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए था।

पार्टियों के प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सजा का आदेश अपील योग्य है, मैं याचिकाकर्ता को आज से छह सप्ताह के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश देता हूँ। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी अपील दायर की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की अपील पर विचार और निर्णय करेगा।

उपरोक्त प्रेक्षण एवं निर्देश के साथ, इस रिट आवेदन का निपटान किया जाता है। मैनें इस मामले की गुणागुण में प्रवेश नहीं किया है।

(आनंदा सेन, न्याया0)